

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था10 / 10 / 2023 / 3398

संशोधित आदेश

दिनांक : 25.06/2024

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत श्री कैलाश चन्द भीणा, लिपिक ग्रेड-1 को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को पूर्व में वांछित चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. एवं पदोन्नति पर संबंधित न्यायक्षेत्र, जिसका उल्लेख तालिका के कॉलम सं0. 03 में किया गया है, के द्वारा तत्समय नियमों के अन्तर्गत वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश जारी किये गये थे, जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं उक्त आदेश के स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के क्रम में एतत् द्वारा उक्त पूर्व स्वीकृत वेतनस्थिरीकरण को निम्नानुसार संशोधित/स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र द्वारा स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी अथवा पदोन्नति का विवरण	अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 के अनुसार	आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक				
01	श्री कैलाश चन्द भीणा लिपिक ग्रेड-1 विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट) क्रम सं0 12, जयपुर महानगर-1 प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.09.2004 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	न्यायक्षेत्र का नाम व स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1 स्था/11/2022/3574 दि. 14.08.2023	देय दिनांक व उक्त दिनांक पर पूर्व में स्वीकृत मूलवेतन 22.09.2022 (18 वर्ष) 33300/- (L-08)	चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी अथवा पदोन्नति की दिनांक से पूर्व प्राप्त मूल वेतन एवं पे-लेवल 22.09.2022 (18 वर्ष) 32300/- (L-05)	विद्यमान पे-लेवल में एक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए आगामी मूल वेतन 33300/- (L-05)	देय ए.सी.पी./पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण की दिनांक को आगामी पे-लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन 22.09.2022 (18 वर्ष) 34300/- (L-08)	08	01.07.2023

नोट:-

- उपरोक्त तालिका में उल्लेखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 07 में उल्लेखित दिनांक से दिनांक 31.03.2023 तक की कोई एरियर राशि नियमानुसार देय नहीं होगी एवं दिनांक 01.04.2023 से सम्मत वित्तीय लाभ देय होंगे।
- उक्त आदेश का इन्तार्ज संबंधित कर्मचारी की सेवापुरस्त्रिका में किया जावे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय
दिनांक : 25.06/2024

क्रमांक : स्था10 / 10 / 2023 / 3399-3401
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
- श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
- संबंधित न्यायालय
- संबंधित कर्मचारी
- सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/संश्लित पत्रावली।

जयपुर महानगर-द्वितीय (संलग्न सेवापुरस्त्रिका)

जयपुर महानगर-द्वितीय
17/1/2024